22 ‎ 1129-5 ‎ संख्या: 6692/ III(2)/11–83 (प्र0आ0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

वीरेन्द्र सिंह दताल,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,

लोक निर्माण विभाग,

देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 ‎ ‎ ‎ देहरादून: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2011

विषय:– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मोटर मार्ग नवनिर्माण/डामरीकरण/सुधारीकरण हेतु 08 (आठ) कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पत्र सं0–[illegible]/1125 यातायात–कुमायूँ/2010 दिनांक 02.12.2010, पत्र संख्या 14340/1125 यातायात–कुमायूँ/[illegible] दिनांक 09 दिसम्बर 2010, पत्र संख्या 441/1128 यातायात–कुमायूँ/2010 दि0 19 फरवरी, 2011, पत्र संख्या 9820/1125 यातायात– कुमायूँ/2010 दिनांक 29 अगस्त, 2011, एवं पत्र संख्या [illegible]/1131 यातायात–कुमायूँ/2010 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये कुल 08 कार्यों के आगणन कुल लम्बाई 19.00किमी0 नवनिर्माण/डामरीकरण/सुधारीकरण कार्य हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धनराशि ₹ 190.24 लाख की लागत के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गयी औचित्यपूर्ण लागत ₹ 190.24 लाख (₹ एक करोड़ नब्बे लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु संलग्नक के कालम 5 में उल्लिखित विवरणानुसार प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.05 लाख अर्थात कुल ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा, तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764/III(2)/10–17 (सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही हो, तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः 2/–

स्वीकृत किये जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

शासन के शासनादेश सं0– 2047/XIV–219(2006) दिनांक द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

नियमानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0,भूमि अधिग्रहण,यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि संबंधी मदों के भुगतान में आवश्यक व्यय अनुदान सं0–22- लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत निर्माण कार्य के विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वतन पर रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्यों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–862 /XVII/(2)/2011 दि0: 22 दिसम्बर 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

संख्या 6692/III(2)/11–83(लो0नि0)/2011टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

[illegible](2)/11-83 (प्रा0आ0)/2011टी0सी0 दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

[illegible]	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा औचित्य पूर्ण पाई गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय की स्वीकृति
	2	3	4	5
[illegible]	[illegible] कन्तरा पोखरा तक मोटर मार्ग का [illegible] कार्य।	5.00	63.00	0.05
[illegible]	[illegible] मोटर मार्ग से ग्राम माड (मरोली) [illegible] निर्माण।	2.00	25.20	0.05
[illegible]	[illegible] से कनारी मोटर मार्ग के अवशेष [illegible] 2 से 5 तक विस्तार।	3.00	37.80	0.05
[illegible]	[illegible] देवल मोटर मार्ग से ग्राम खूनी [illegible] मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.05
[illegible]	[illegible] चण्डणा, फुसरखाली, गौदागैर एवं [illegible] मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	25.20	0.05
[illegible]	[illegible] से बोरागाँव मोटर मार्ग का नव निर्माण।	1.00	12.60	0.05
[illegible]	[illegible] मोटर मार्ग के किमी0 3 व 4 में [illegible] कार्य	2.00	0.62	0.05
[illegible]	[illegible] मोटर मार्ग के किमी0 2 से कोट तक [illegible] व 2 में सुधारीकरण का कार्य।	2.00	0.62	0.05
	कुल योग	19.00	190.24	0.40

(₹ चालीस हजार मात्र)

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।